



असम विश्वविद्यालय, सिलचर

(संसद के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

एम.बी.ए. के लिए प्रवेश सूचना 2017-18

जुलाई 2017 से प्रारम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र के लिए असम विश्वविद्यालय, सिलचर मुख्यालय में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित फार्म में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं।

एम.बी.ए. कार्यक्रम-

- एम.बी.ए.- दो वर्षीय पूर्णकालिक
- आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन में एम.बी.ए.- दो वर्षीय पूर्ण कालिक

योग्यता-

1. एम.बी.ए. पाठ्यक्रम, 2017 में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से या तो (ए) सम्बन्धित विषय से स्नातक के साथ सीएटी में कम-से-कम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो अथवा (बी) अभ्यर्थी किसी भी विषय से स्नातक उपाधि के साथ कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष सीजीपीए प्राप्त किया हो।
2. आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन में एम.बी.ए. में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से या तो (ए) सम्बन्धित विषय से स्नातक के साथ सीएटी में कम-से-कम 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो अथवा (बी) अभ्यर्थी किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ कम-से-कम 55 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष सीजीपीए प्राप्त किया हो।

(आरक्षण श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अंकों अथवा समकक्ष सीजीपीए अथवा कैंट में निम्नतम पर्सेन्टाइल (प्रतिशत) की छूट भारत सरकार के नियम के अनुसार होगा)
(31 मई 2017 के पहले स्नातक कार्यक्रम के अंतिम सत्र की परीक्षा में जो अभ्यर्थी बैठा है अथवा बैठने वाला हो वह भी आवेदन कर सकता है।

बी.टेक., बी.एस.सी., बी.काम., बी.ए., आदि अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन फार्म एवं प्रवेश विवरणिका: योग्य अभ्यर्थी असम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.aus.ac.in अथवा www.ausadmission.in/mba द्वारा प्रवेश विवरणिका को डाउनलोड कर के आवेदन कर सकते हैं।

असम विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	20/03/2017
विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिखित निपुणता मूल्यांकन परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन।	24/03/2017
लिखित निपुणता मूल्यांकन परीक्षा की तिथि	31/03/2017
समूह परिचर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार की तिथि	01/04/2017 एवं 02/04/2017
विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची	04/04/2017
प्रवेश तिथि	05/04/2017 से 12/04/2017
सत्र प्रारम्भ	बाद में प्रकाशित होगा

अ.सू./अ.सू.ज./अन्य पिछड़ा/दिव्यांग हेतु सीटों का आरक्षण भारत सरकार के नियमनुसार होगा।

दिनांक:

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के निजी सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रभारी, दिफु परिसर, एयूडीसी।
3. सभी संकायाध्यक्ष, असम विश्वविद्यालय, सिलचर
4. सभी सांविधिक अधिकारी, असम विश्वविद्यालय, सिलचर
5. सभी शैक्षिक विभागों के विभागाध्यक्ष, सिलचर परिसर/दिफु परिसर।
6. सभी पूर्वोत्तर विश्वविद्यालयों के कुलसचिव।
7. सभी सम्बद्ध महाविद्यालय असम विश्वविद्यालय, सिलचर के प्राचार्य।
8. स्टेशन निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, सिलचर/गुवाहाटी को निवेदन के साथ स्थानीय समाचार में प्रसारण हेतु।
9. स्टेशन निदेशक, आकाशवाणी, सिलचर/दिफु/हॉफलांग को निवेदन के साथ वृहद प्रचार के लिए प्रसारण हेतु।
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सिलचर, करीमगंज, हैलाकान्दी, दिफु को वृहद प्रसारण हेतु।
11. समाचार सम्पादक, बराक टेलिविजन नेटवर्क, हॉस्पिटल रोड सिलचर/नार्थ ईस्ट न्यूज, गुवाहाटी, न्यूज लाइव, गुवाहाटी को निवेदन के साथ केवल न्यूज आइटम के रूप में प्रसारण हेतु।
12. सम्पादक, दैनिक युगशंख, सिलचर, सामयिक प्रसंग, प्रान्तज्योति, नववार्ता प्रसंग, करीमगंज, द अर्लिंग डेली, दिफु को निवेदन के साथ न्यूज आइटम के रूप में सूचना के रूप में विषय को प्रकाशन हेतु।
13. असम विश्वविद्यालय, सिलचर के सभी अधिकारी।
14. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी, असम विश्वविद्यालय, सिलचर।
15. निदेशक, कम्प्यूटर सेन्टर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
16. छात्र कल्याण प्रमुख, असम विश्वविद्यालय, सिलचर।
17. जनसम्पर्क अधिकारी, असम विश्वविद्यालय, सिलचर को वृहद प्रसारण हेतु।
18. सूचना पट्ट, असम विश्वविद्यालय, सिलचर।
19. फाइल।

कुलसचिव

अनुभाग अधिकारी (शैक्षिक)